काम पाने का मूलभूत अधिकार

2744. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए काम पाने के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार बेरोजगार लोगों को बेरोजगार भत्ता देने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय) : (क) और (ख) जी, नहीं, सरकार का प्रयास सीमित उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उत्पादी रोजगार अवसरों के सृजन के माध्यम से बेरोजगारी को कम करना है।

(ग) सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सरकार यह महसूस करती है कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग ऐसी योजनाओं पर किया जाना चाहिए जो उत्पादी एवं स्थायी रोजगार अवसर सृजित करें।

उत्तर प्रदेश के गांवों में जल पूर्ति योजनाओं के लिए धनराशियों का आवंटन

2745. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को विभिन्न ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिए कितनी धनराशियां आवंटित की गईं और क्या वहां धनराशियों का पूर्णतः इस्तेमाल किया गया ; और

(ख) क्या यह धन राशि उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, यदि नहीं, तो सरकार इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए उपलब्ध की गई विधियां नीचे दर्शायी गई हैं :—

धन राशि (करोड़ रुपये में)

1. छठी योजना

रिलीज	123.80
व्यय	87.15

2. सातवीं योजना

आवंटन	183.53
रिलीज	155.12
व्यय	152.52

(दिसम्बर, 1988 तक)

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत सातवीं योजना में उपर्युक्त रिलीजों के अतिरिक्त मिर्जापुर, आगरा, उन्नाव तथा सुलतानपुर के मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों (जिलों) के लिए 8.86 करोड़ रुपये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के परिव्ययों में से जल एकत्रीकरण ढांचों आदि के निर्माण के लिए 2.34 करोड़ रुपए तथा फ्लोरोसिस पर नियन्त्रण पाने तथा लौह की अधिकता को दूर करने सम्बन्धी उप-मिशनों के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के लिए लक्ष्य/कार्य योजना के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों को कवर करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि पर्याप्त थी।

खदानों में सुरक्षा संबंधी उपाय

2746. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि मंदसौर स्थित भारतीय सीमेंट निगम तथा विक्रम सीमेंट फैक्ट्री की चूना पत्थर की खानों में कर्मकारों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय तथा सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन खानों में कर्मकारों की सुरक्षा के लिए न तो सभी उपाय किए गए और न ही सभी साधन उपलब्ध करा गए हैं ;

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक कारखाने में 1986, 1987 और 1988 के वर्षों के दौरान, वर्षवार कितनी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया और कितनी मात्रा में विस्फोटक उपलब्ध कराए गए ; और

(घ) 1985 से 1988 की अवधि के दौरान उक्त खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं और इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये और कितने जख्मी हुए तथा उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें या तो स्वयं या उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया तथा उन्हें मुआवजे की कितनी-कितनी रकम दी गई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री श्री (राधा कृष्ण मालवीय) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया और विक्रम सीमेंट फैक्टरी से संबंधित चूना पत्थर खानों का फरवरी, 1989 में खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था और सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सामान्यतः संतोषजनक पाया गया । दोनों खानों के प्रबंधतंत्रों ने, हैलमेट गागल्स, ग्लोव्स तथा जूतों जैसे आवश्यक बचाव उपकरण उन सभी व्यक्तियों को प्रदान किए हैं जिन्हें उनका प्रयोग करना पड़ता है । दोनों खानों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बैल्टस प्रदान किए गए हैं । ब्लास्टर्स शैल्टर्स की व्यवस्था की गई है । घायल व्यक्तियों को लाने ले जाने की व्यवस्था सहित पर्याप्त प्रथम उपचार स्टेशन और औषधालय प्रदान किए गए हैं ।

(ग) विस्फोटक विनिर्माताओं या उनके अधिकृत डीलरों द्वारा खान प्रबंधतंत्र को विस्फोटक प्रदान किए जाते हैं । इन खानों में प्रयोग की गई विस्फोटक पदार्थ की मात्रा नीचे दी गई है :—

	1986	1987	1988
सी. सी. आई.	15,530 किग्रा.	87,919 किग्रा.	60,405 किग्रा.
विक्रम सीमेंट	90,825 किग्रा.	153,280 किग्रा.	184,405 किग्रा.

(घ) वर्ष 1985 से 1988 के दौरान श्री मदन लाल मकेनिक हैल्पर नाम के एक व्यक्ति की घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की खान में 25.8.1987 को हुई । श्री आर. एस. राजन, इलैक्ट्रिशियन नामक व्यक्ति की घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जो 12.8.1988 को विक्रम सीमेंट फैक्टरी की खान में हुई थी । संदर्भाधीन अवधि के दौरान इन खानों में कोई अन्य गंभीर दुर्घटना नहीं हुई । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मुआवजा दिया जाता है जिसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है । इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

Bifurcation of the Management of the Sarva Priya Coop. House Building Society

2747. SHRI RAMSINH RATHWA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the total membership of Sarva Priya Coop. House Building Society, New Delhi with break-up of plot owners in Sarva Priya Vihar and apartment-owners in "Sarva